कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधिनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम 31(ख) के प्रावधानान्तर्गत प्रधानाचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद पर वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषा के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था–डीपीसी/प्रभाग–2/प्रधानाचार्य/2021 – 22 (नियमित) दिनांक 11.07.2022 द्वारा चयन किये जाने पर इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश दिनांक 02.11.2022 के द्वारा याचिका संख्या 9479/2022 प्रवीण सिंह व अन्य बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के अंतरिम दिनांक 11.07.2022 की पालना में चयनित प्रधानाचार्य उमावि के 20 प्रतिशत कार्मिकों का पदस्थापन रोकते हुए शेष कार्मिकों के पदस्थापन की कार्यवाही की गई थी। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2023 को अंतरिम निर्णय पारित कर पूर्व में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 11.07.2022 को संशोधित किया है।

अतः आदेश दिनांक 11.07.2022 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित प्रधानाचार्य–उमावि जिनका पूर्व में पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये है, वे अपने पृथक से पदस्थापन आदेश जारी होने तक चयन आदेश में उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं। सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशो तक यथावत कार्यरत रहेगें एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेगें। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएगें। उक्त कार्मिकों की पदोन्नति एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 9479/2022 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/बी–2/45001/प्रधानाचार्य/डीपीसी (2021–22)/पदस्थापन/2022 दिनांक :–२5.0५.२०२३

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
9. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु
11. अनुभाग अधिकारी डीपीसी/वरिष्ठता/एसीआर/विभागीय जॉच/संस्थापन–सी अनुभाग कार्यालय हाजा
12. रक्षित पत्रावली।

सयुंक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department